

“चिन्नेन्नल पाल्ट के अनन्गल डाक शूल्क के  
नगर मुगलन (विना डाक टिकट) के प्रणा  
हन् अनुमति क्रमांक जी २-२२-छन्नीसगढ़  
गजट / ३४ लि. सं. मिनांड, निनांक,  
३०-०५-२००१।”



पंजीयन क्रमांक  
“छन्नीसगढ़/झुंग/०९/२०१२-२०१५”

# छन्नीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४६२।

गणपुर, गुरुवार, दिनांक २१ अगस्त २०१४— अवलोकन ३०, शक १९३६

### गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानन्दी भवन, मया राधापुर

राधापुर दिनांक २१ अगस्त २०१४

#### आधिसूचना

क्रमांक एक. २-५४/दो-गृह/रामुस्त/२०१३— छन्नीसगढ़ निजी नियोजन अधिकरण (विनियमन) गोविन्दपाल, २०१३ (क्र. २३ सन् २०१३) की धारा १२ को उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शोक्तम्यों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निजी नियोजन अधिकरण एवं उससे संबंधित अथवा अनुषंगिक विषयों के विनियमन हेतु नियमित्वात् नियम बनाती है, अधृत:-

#### नियम

१. संक्षिप्त नाम: बिस्तार तथा प्रारंभ- (१) ये नियम छन्नीसगढ़ निजी नियोजन अधिकरण (विनियमन) नियम, २०१४ कहलायेगा।

(२) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे।

(३) ये नियम राज्यपत्र में इनके प्रकाशन की तरीख से लागू होंगे।

२. परिभाषा- (१) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अव्योक्त न हो,-

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अधिकरण (विनियमन) अधिनियम, २०१३ (क्र. २३ सन् २०१३);

(ख) “अधिकरण” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा २ के खण्ड (ज) के अधीन यथा परिभाषित निजी नियोजन अधिकरण;

(ग) “अपोल ग्राधिकारी” से अभिप्रेत है ग्रुप च सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) “प्राधिकृत अधिकारी” से अभिप्रेत है नियंत्रण ग्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(ङ) “नियंत्रण ग्राधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश;

(च) “प्रस्तुप” से अभिप्रेत है इन नियमों से सलतन प्रस्तुप;

(ज) “अनुङ्गाति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी या ग्राधिकारी जो इन नियमों के अधीन अनुङ्गाति देन अथवा नवीकृत करने के लिये सशक्त हो;

(ज) “अनुङ्गाति विवारी” से अभिप्रेत है अधिकरण जिसको अधिनियम के अधीन अनुङ्गाति प्रदाय किया गया हो;

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने और नवीकरण के लिए आवेदन करने की रीति— (1) प्रत्येक आवेदन, जो किसी अभिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञाप्ति की प्राप्ति हेतु किया गया हो, प्ररूप—एक में नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन, शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा जो कि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में, नियंत्रण प्राधिकारी को निम्नानुसार देय होगा—

(क) यदि निजी नियोजन अभिकरण एक जिले में संचालित हो तो अभिकरण को रूपये पांच हजार के शुल्क के साथ रूपये एक लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना पड़ेगा;

(ख) यदि निजी नियोजन अभिकरण एक से अधिक जिलों में संचालित हो तो अभिकरण को रूपये दस हजार के शुल्क के साथ रूपये एक लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना पड़ेगा;

(ग) यदि निजी नियोजन अभिकरण सम्पूर्ण राज्य में संचालित हो तो अभिकरण को रूपये पच्चीस हजार के शुल्क के साथ रूपये एक लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(3) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन, नियंत्रण प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से परिदत्त किया जायेगा।

(4) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, नियंत्रण प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात्, आवेदक को एक अभिस्थीकृति पत्र (प्राप्ति रसीद) प्रदान करेगा।

4. आवेदक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन— (1) नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष नवीन अनुज्ञाप्ति जारी करने अथवा नवीकरण हेतु आवेदन करते समय प्रत्येक आवेदक, अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिये प्ररूप—दो, आवेदन के साथ सलग्न करेगा। यदि आवेदक, एक कंपनी

अथवा फर्म हो तो यथास्थिति, प्रत्येक रखारी, प्रमुख अंशधारेक, भागीदार या निदेशक के लिए प्ररूप-दो पृथक से संलग्न करना होगा, जैसे कि वे स्वयं भी आवेदक हों।

- (2) आवेदन की प्राप्ति पर, नियंत्रण प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी, आवेदन की अन्तर्वस्तु (विषयवस्तु) के सत्यापन के लिये इसे, संबंधित पुलिस जिले, जहां अभिकरण अपनी गतिविधियां आरंभ (संचालित) करना चाहता है, के पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित कर सकेगा तथा आवेदक के विवरण के सत्यापन के लिए, ऐसी जांच कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- (3) सत्यापन के पश्चात्, नियंत्रण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, निम्नलिखित प्राप्त करेगा:-
  - (क) संबंधित पुलिस अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाणपत्र;
  - (ख) सत्यापन रिपोर्ट, पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसमें आवेदक और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसके नाम से पूर्ववृत्त प्ररूप भरा गया है, का विवरण होगा।
- (4) संबंधित पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक, नियंत्रण प्राधिकारी अथवा उक्त प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, अनापत्ति प्रमाणपत्र देंगे।
- (5) पुलिस अधीक्षक, नियंत्रण प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, सत्यापन रिपोर्ट भी देंगे, जिसमें निम्नलिखित जानकारी अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-
  - (क) क्या आवेदक ऐसी गतिविधियों में लिप्त है/था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, यदि हां तो, उसका विवरण;
  - (ख) क्या आवेदक पूर्व में व्यक्तिगत तौर पर अथवा साझेदारी में कोई अभिकरण संचालित करता था, यदि हां तो, उसका विवरण; और
  - (ग) क्या आवेदक, कोई विशेष योग्यता अथवा कौशल धारण करता है जिसे अभिकरण के संचालन में सुविधापूर्ण माना जा सके।

5. घरेलू कामगार का चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन।— (1) किसी भी व्यक्ति को अभिकरण द्वारा घरेलू कामगार के रूप में तब तक नियोजित या संलग्न नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अधिनियम की धारा 7 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है तथा अभिकरण, ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के प्रति निम्नलिखित रीति में संतुष्ट नहीं होता है, अर्थात्—

(क) अपने द्वारा किये गये चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात्;

(ख) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र के सत्यापन के पश्चात्;

परन्तु यह कि प्रमाणपत्र वैध हो एवं अभिकरण के पास, किसी अन्य स्रोत से, उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;

(ग) पुलिस अधीक्षक से चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्।

- (2) घरेलू कामगार के रूप में रोजगार के इच्छुक व्यक्ति, अभिकरण को प्ररूप—तीन में जानकारी प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति, पिछले पांच वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रह चुका है तो वह प्रत्येक जिले के लिए पृथक प्ररूप प्रस्तुत करेगा।
- (3) अभिकरण, घरेलू कामगार के रूप में रोजगार के इच्छुक व्यक्ति के विवरणों के सत्यापन के लिये, या तो यथास्थिति, स्वयं या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी से या संबंधित पुलिस अधीक्षक को प्ररूप—तीन अग्रेषित कर, जांच कर/करा सकेगा।
- (4) प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के संबंध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु व्यक्ति द्वारा उप—नियम (9) में यथाविहित सत्यापन शुल्क संबंधित पुलिस अधीक्षक या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा किया जायेगा।
- (5) संबंधित पुलिस अधीक्षक या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति की पहचान स्थापित करने एवं उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु, स्थल पर रहने वाले प्रतिष्ठित निवासियों से एवं जिला पुलिस मुख्यालय में अथवा उनके आवास में जाकर, ऐसी जांच कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(6) संबंधित पुलिस अधीक्षक या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी, प्ररूप-तीन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट अभिकरण के अभिहित अधिकारी को प्रदान करेंगे, जिसमें निम्नलिखित जानकारी अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्—

(क) व्यक्ति द्वारा प्ररूप-तीन में दी गई विवरणों पर पुलिस की टिप्पणियाँ;

(ख) सत्यापन की अवधि के दौरान उसके जीवनयापन के साधन सहित अन्य गतिविधियों के बारे में एक सामान्य रिपोर्ट;

(ग) किसी भी समय पंजीकृत या प्रारंभ या लॉबित या निराकृत आपराधिक जांच या कार्यवाहियों का प्रकटन;

(घ) कारावास सहित किसी दण्डनीय आपराधिक मामले में उसकी सजा के बारे में, यदि कोई हो तो,

(ङ) क्या अभिकरण द्वारा सत्यापन किये जा रहे व्यक्ति को संलग्न करने या रोजगार देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है अथवा नहीं।

(7) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट को यथा गोपनीय चिन्हांकित करेगा और मुहरबंद कवर में अग्रेषित किया जाएगा एवं यह सत्यापन की तारीख से तीन वर्ष के लिये विधिमान्य रहेगी।

(8) संबंधित पुलिस स्टेशन अथवा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी या स्वयं अभिकरण द्वारा प्रदत्त चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अभिकरण, व्यक्ति को प्ररूप-चार में एक चरित्र प्रमाणपत्र जारी करेगी, जिसे उस स्थिति में भी वापस नहीं लिया जाएगा, यदि व्यक्ति अभिकरण के साथ न रहे।

(9) किसी अभिकरण द्वारा घरेलू कामगार के रूप में नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए, संबंधित पुलिस अधीक्षक या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी को रूपये दो सौ पचास का शुल्क, नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा, देय होगा।

६. अनुज्ञाप्ति प्रदान करना।— (1) नियंत्रण प्राधिकारी, नियम ३ के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् तथा आवेदक और आवेदित संचालन क्षेत्र में अनुज्ञाप्ति प्रदान करने की आवश्यकता की भी उपयुक्तता के बारे में स्वयं की संतुष्टि करने के पश्चात्, निजी नियोजन अभिकरण को प्ररूप-पांच में अनुज्ञाप्ति प्रदान करेगा।

परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी, या तो स्वयं या प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी निजी नियोजन अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्ड, घरेलू कामगारों और पर्यवेक्षक को प्रदान की गई प्रशिक्षण एवं कौशल की जांच कर सकेगा।

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, ऐसी जांच करने, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् तथा संबंधित पुलिस प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, संपूर्ण विवरण एवं शुल्क सहित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञाप्ति प्रदान कर सकेगा अथवा प्रदान करने से इंकार कर सकेगा।

परन्तु जब नियंत्रण प्राधिकारी, संबंधित पुलिस प्राधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र से सहमत न हो, तो वह अपनी असहमति के कारणों को संक्षिप्त में अभिलिखित करेगा और मामले को शासन के समक्ष रखेगा और शासन के निर्णय के अनुसार ही अनुज्ञाप्ति प्रदान करने अथवा प्रदान करने से इंकार करने की कार्यवाही करेगा।

परन्तु यह और कि यदि नियंत्रण प्राधिकारी अनुज्ञाप्ति प्रदान करने का निर्णय करता हैं तो वह प्ररूप-पांच में अनुज्ञाप्ति प्रदान करेगा। अनुज्ञाप्ति, ५ वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा, यदि इसे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (1) के अंतर्गत निरस्त न किया जाए।

(3) नियंत्रण प्राधिकारी, ऐसी निजी नियोजन अभिकरण, जिन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चय करने की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, की अनुज्ञाप्ति की निरंतरता का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(4) नियंत्रण प्राधिकारी, अनुज्ञाप्ति को तब तक निरस्त नहीं करेगा जब तक कि आवेदक का सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो और अनुज्ञाप्ति निरस्ती का कारण, आदेश में उल्लिखित नहीं किया गया हो।

(5) अभिकरण, अपने नाम में शब्द जैसे "भास्तीय", "राष्ट्रीय" या कोई अन्य ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेगा जिससे कोई शासकीय सहायता परिलक्षित हो।

7. अनुज्ञाप्ति प्रदान करने की शर्तें— (1) अनुज्ञाप्तिधारी, अनुज्ञाप्ति की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, नियंत्रण प्राधिकारी को अपना नाम, माता-पिता के नाम, जन्म तारीख, स्थायी पता, पत्राचार का पता एवं अभिकरण के निर्माण में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के प्रमुख व्यवसाय की सूचना देगा।

(2) अनुज्ञाप्तिधारी, अभिकरण के निर्माण में शामिल व्यक्तियों के पते एवं प्रबंधन में किसी भी परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन होने के सात दिनों के भीतर, नियंत्रण अधिकारी को सूचना देगा।

(3) अनुज्ञाप्तिधारी, अभिकरण के निर्माण में शामिल व्यक्ति अथवा अभिकरण द्वारा संलग्न या नियोजित पर्यवेक्षक के विरुद्ध, उनके द्वारा निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्य के निर्वहन करने के दौरान, लगाये गये किसी भी आपराधिक आरोप के बारे में, नियंत्रण प्राधिकारी को तत्काल, सूचना देगा। ऐसे संसूचना की एक प्रति, उस पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को भी भेजी जाएगी, जहां आरोपित व्यक्ति निवास करता है।

(4) इन नियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर, अनुज्ञाप्ति प्राप्ति हेतु दिया गया शुल्क, गैर-वापसी योग्य होगा।

8. अनुज्ञाप्ति का नवीकरण— (1) प्रत्येक अभिकरण, अनुज्ञाप्ति की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, अनुज्ञाप्ति को आगामी पांच वर्ष के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(3) अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिये प्रभार्य शुल्क वैही होगा जो अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिये लागू हो।

9. अनुज्ञाप्ति नवीकरण की शर्तें— (1) अनुज्ञाप्ति का नवीकरण, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जायेगा, अर्थात्—

(क) आवेदक, अपना मुख्य कार्यक्षेत्र नियंत्रण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में ही रखे;

(ख) आवेदक, अनुज्ञाप्ति की शर्तों का अनुपालन करता रहे;

(ग) आवेदक के अनुज्ञाप्ति का नवीकरण में पुलिस को कोई आपत्ति न हो।

(2) अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिये भी प्ररूप—एक में आवेदन करेगा।

10. अनुज्ञाप्ति का निलंबन अथवा निरस्तीकरण— (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदाय की गई किसी भी अनुज्ञाप्ति को तब तक निरस्त अथवा निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञाप्तिधारी को, कि यथास्थिति क्यों न उसकी अनुज्ञाप्ति निरस्त अथवा निलंबित कर दिया जाए के संबंध में, कारण बताने की सम्यक् सूचना देने के पश्चात् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(2) यदि अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) अथवा इसके अधीन जारी किसी भी आदेश अथवा उसको दिये गये अनुज्ञाप्ति की किसी भी शर्त के उल्लंघन के कारण, अनुज्ञाप्तिधारी के विरुद्ध जांच लंबित होने पर, अनुज्ञाप्ति को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है, तो अनुज्ञाप्ति के अस्थायी निलंबन पर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

11. अपील और प्रक्रियाएं— (1) कोई व्यक्ति, जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, अनुज्ञाप्ति प्रदान करने से इंकार करने, अनुज्ञाप्ति की शर्तों को परिवर्तित करने अथवा अनुज्ञाप्ति के निलंबन या निरस्त करने के संबंध में पारित किसी आदेश से, व्यक्ति हो, उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) कोई भी अपील ग्रहण नहीं किया जायेगा यदि इसे, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उनका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास विलंब होने का पर्याप्त कारण है।

(3) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील, व्यक्तित्व के उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर कर प्ररूप-छ. में अपील प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जायेगा।

12. अभिकरण द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर.— अभिकरण, प्ररूप-सात में एक रजिस्टर संधारित करेगा, जो कि नियंत्रण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।
13. घरेलू कामगारों के लिए पहचान पत्र.— अभिकरण, प्रत्येक घरेलू कामगार को प्ररूप-आठ में एक पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें पूर्ण-चेहरे वाला एक रंगीन फोटो, अभिकरण का नाम, घरेलू कामगार का नाम, पदनाम, पहचान क्रमांक और वैधता अवधि अन्तर्विष्ट होंगी तथा फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जायेगा और विवरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को उसमें प्रविष्ट किया जायेगा एवं अभिकरण द्वारा लंबे समय के लिये संलग्न अथवा नियोजित नहीं करने की स्थिति में, घरेलू कामगार/पर्यवेक्षक को जारी फोटो पहचान पत्र, इसे जारी करने वाले अभिकरण को लौटा दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से नथा आदेशानुसार,

डी. के. माधुर, उप-सचिव,

## प्ररूप—एक

## (नियम 3 देखिये)

निजी नियोजन अभिकरण के व्यवसाय में नियुक्ति हेतु नवीन अनुज्ञाप्ति  
/ नवीकरण के लिए आवेदन

प्रति,

नियंत्रण प्राधिकारी

अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा, निजी नियोजन अभिकरणों के क्षेत्र में अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु, आवेदन करता है:

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक की राष्ट्रीयता
3. सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
4. आवास का पता
5. पता, जहाँ आवेदक अपना अभिकरण प्रारंभ करना चाहता है
6. निजी नियोजन अभिकरण का नाम  
(टीप: अभिकरण के पंजीयन कमांक का भी उल्लेख करें)
7. अभिकरण के मालिक, भागीदार, प्रमुख अंशधारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम एवं पता:  
(टीप: अभिकरण के प्रत्येक भागीदार, प्रमुख अंशधारक, निदेशक और अध्यक्ष की राष्ट्रीयता का उल्लेख करें)
8. उपलब्ध सुविधाओं का नाम एवं सीमा
9. निर्देश प्रदान करने हेतु संलापन कर्मचारियों की योग्यता:

नाम : .....

आयु : .....

पदनाम : .....

10. यदि आवेदक, अभिकरण के निजी घरेलू कामगारों और पर्यवेक्षकों के लिए कोई वर्दी रखना चाहता है तो रंग सहित वर्दी का विवरण.

11. क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में संचालन करना चाहता है? यदि हाँ, तो कृपया जिलों के नाम का उल्लेख करें :

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

12. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में संचालन करना चाहता है? (हाँ / नहीं)
13. क्या आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या  
वह इसे बाहरी स्रोतों से प्राप्त करेगा? प्रशिक्षण सुविधा  
का विवरण दें (परिशिष्ट के रूप में)

आवेदक का पता

आवेदक का टेलीफोन क्रमांक

आवेदन की तारीख

संलग्न:-

1. वर्तमान आयकर भुगतान प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
2. शपथ-पत्र जैसा कि अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में विहित है।
3. अन्य संलग्न-पत्रादि

## प्ररूप-दो

## (नियम 4 देखिये)

## पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिये प्ररूप

प्रथम श्रेणी राजपत्रित  
अधिकारी द्वारा सत्यापित  
हाल ही की पासपोर्ट  
आकार की फोटो

आवेदक के \*अंगूठे का निशान\*

आवेदक के हस्ताक्षर

सिर्फ कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्ररूप क्रमांक	पुलिस सत्यापन हेतु भेजे गये पुलिस थाने का नाम	दिनांक

शुल्क राशि रु..... नकद / डी.डी. ....

बैंक और शाखा का नाम.....

डी.डी. क्रमांक..... जारी करने की तारीख.....

ध्यान दें: कृपया प्ररूप भरने के पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें।

(टीप: कृपया सही जानकारी ही भरें। प्ररूप में गलत जानकारी देने अथवा महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने पर अभ्यर्थी को अनुज्ञाप्ति हेतु अपात्र माना जाएगा)

1. आवेदक का नाम (आदयाक्षर स्वीकार्य नहीं)

प्रथम नाम..... मध्य नाम..... सरनेम.....

2. यदि आपने कभी भी अपना नाम बदला है, तो कृपया पूर्व के नामों का पूर्ण रूप से उल्लेख करें

3. लिंग (स्त्री/पुरुष).....

4. जन्म तारीख.....

5. जन्म स्थान: ग्राम/नगर.....

जिला..... राज्य व देश.....

6. पिता का पूरा नाम/विधिक अभिभावक का पूरा नाम (सरनेम सहित, यदि कोई हो तो): (आद्याक्षर स्वीकार्य नहीं)
7. माता का पूरा नाम (सरनेम सहित, यदि कोई हो तो): (आद्याक्षर स्वीकार्य नहीं)
8. यदि विवाहित हो, तो पति/पत्नी का पूरा नाम (सरनेम सहित, यदि कोई हो तो): (आद्याक्षर स्वीकार्य नहीं)
9. वर्तमान आवास का पता, सड़क क्रमांक/पुलिस थाना, ग्राम और जिला (पिन कोड के साथ) सहित

टेलीफोन नं./मोबाइल नं.

कार्यालय: आवास

फैक्स नं.

ईमेल आईडी:

10. उपरोक्त पते पर कब से रह रहे हैं, कृपया तारीख का उल्लेख करें: दिन/महिना/वर्ष

11. स्थायी पता, सड़क क्रमांक/पुलिस थाना, ग्राम और जिला (पिन कोड के साथ) सहित

12. यदि आप कॉलम (9) में दिये पते पर पिछले पांच वर्षों से सतत रूप से निवासरत नहीं रहे हैं, तो कृपया अन्य पता (पते) का, आवास की अवधि सहित, उल्लेख करें। पिछले पांच वर्षों में आपके आवास के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए आपको इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटोप्रति पृथक रूप में जमा करना चाहिए। प्ररूपों की फोटोकॉपी की जा सकती है, किन्तु प्रत्येक प्ररूप पर फोटो और हस्ताक्षर वास्तविक होना आवश्यक है।

पता

से

तक

13. विदेश में आवास होने पर, उन सभी स्थानों का विवरण जहां भी आप इकीस वर्ष की आयु के पश्चात एक वर्ष से अधिक रहे हैं।

14. अन्य विवरण:

(क) शैक्षणिक योग्यता:

(ख) पूर्व धारित पद, यदि कोई हो तो, नियोक्ता(ओं) के नाम और पते के साथ

(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारण:

(घ) कोई दृश्य विशेष यहांन चिन्ह:

(ङ) क्या आपको कभी भी कदाचार या नैतिक अधमता के कारण शासकीय सेवा से बखार्स्त किया/हटाया गया है?

15. क्या आपने पूर्व में कभी किसी निजी नियोजन अभिकरण को संचालित किया है या इसके भागीदार, प्रमुख अंशधारक, या निदेशक रहे हैं? यदि हां, तो अभिकरण का नाम, पता एवं इसके अनुज्ञापि का विवरण दीजिए।

16. क्या आप (जन्म, चंश, पंजीयन, नागरिकता) से भारत के नागरिक हैं? यदि आपने कभी भी कोई अन्य नागरिकता ली है, तो कृपया (इसका) उल्लेख करें।

17. क्या आपको, कभी भी, भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है? यदि हां, तो न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक और अपराध का उल्लेख करें। (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

18. (क) क्या भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है? यदि हां, तो न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक और अपराध का उल्लेख करें।

(ख) क्या आप किसी ऐसे संघटन या संघ से जुड़े हैं जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति उसकी आपत्तिजनक गतिविधियों के कारण, किसी भी कानून के अधीन प्रतिबंधित किया गया हो?

19. स्व-घोषणा:

इस प्रूप एवं संलग्न-पत्रादि में मेरे द्वारा दी गई जानकारी, सत्य एवं सही है एवं इसकी यथार्थता के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान\*)

दिनांक:

स्थान:

20. संलग्न-पत्रादि:

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान\*)

(\*यदि पुरुष हो तो बाएं हाथ का अंगूठा और यदि स्त्री हो तो दाहिने हाथ का अंगूठे का निशान)

कार्यालयीन उपयोग के लिए:-

फाइल क्र.:-

सी एवं ए रिपोर्ट जारी करने की तारीख

(पुलिस थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

पुलिस थाने का नाम

पुलिस जिले का नाम

टीप:-

(एक) आवेदक के संबंध में फोटोग्राफ के पीछे शासकीय अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित तीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

(दो) आयु का प्रमाण

(तीन) आरओसी द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र, विक्रय कर क्र. (एसटी-2), श्रम अनुज्ञापि, ईएसआई अधिनियम और ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन

(चार) कार्यालय की स्थल योजना

(पांच) आवेदकों के आवास का प्रमाण

(छ) विहित शुल्क

(सात) परिसर में नियोजन अभिकरण का व्यवसाय करने के लिए भू-स्वामी का अनापत्ति प्रमाणपत्र

## प्ररूप-तीन

(नियम 5 देखिये)

घरेलू कामगार के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु प्ररूप

आवेदक के \*अंगूठे का निशान\*

आवेदक के हस्ताक्षर

सिर्फ कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्ररूप क्रमांक	पुलिस सत्यापन हेतु भेजे गये पुलिस थाने का नाम	दिनांक

शुल्क राशि रु..... नकद / डी.डी.....

बैंक और शाखा का नाम.....

डी.डी. क्रमांक..... जारी करने की तारीख.....

ध्यान दें: कृपया प्ररूप भरने के पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें।

(टीप: कृपया सही जानकारी ही भरें। प्ररूप में गलत जानकारी देने अथवा महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने पर अभ्यर्थी को निजी अभिकरण में रोजगार/संलग्न होने हेतु अपात्र माना जाएगा)

1. आवेदक का नाम (आद्याक्षर स्वीकार्य नहीं)  
प्रथम नाम ..... मध्य नाम ..... सरनेम .....
2. यदि आपने कभी भी अपना नाम बदला है, तो कृपया पूर्व के नामों का पूर्ण रूप से उल्लेख करें
3. लिंग (स्त्री/पुरुष).....
4. जन्म तारीख.....
5. जन्म स्थान: ग्राम/नगर..... ज़िला.....  
राज्य व देश:.....
6. पिता का पूरा नाम/विधिक अभिभावक का पूरा नाम (सरनेम सहित, यदि कोई हो तो): (आद्याक्षर स्वीकार्य नहीं).....
7. माता का पूरा नाम (सरनेम सहित, यदि कोई हो तो): (आद्याक्षर स्वीकार्य नहीं).....
8. यदि विवाहित हो तो पति या पत्नी का पूरा नाम (सरनेम सहित, यदि कोई हो तो): (आद्याक्षर स्वीकार्य नहीं).....

9. वर्तमान आवास का पता, सड़क क्रमांक/पुलिस थाना, ग्राम और जिला (पिन कोड के साथ) सहित

टेलीफोन नं./मोबाइल नं.....  
कार्यालय:..... आवास..... फैक्स नं.....  
ईमेल आईडी:.....

10. उपरोक्त पते पर कब से रह रहे हैं, कृपया तारीख का उल्लेख करें: दिन/माह/वर्ष.....

11. स्थायी आवास का पता, सड़क क्रमांक/पुलिस थाना, ग्राम और जिला (पिन कोड के साथ) सहित

12. यदि आप कॉलम (9) में दिये पते पर पिछले पांच वर्षों से सतत रूप से निवासरत नहीं रहे हैं, तो कृपया अन्य पता (पते) का, आवास की अवधि सहित, उल्लेख करें। पिछले पांच वर्षों में आपके आवास के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए आपको इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटोप्रति पृथक रूप से जमा करना चाहिए। प्ररूपों की फोटोकॉपी की जा सकती है, किन्तु प्रत्येक प्ररूप पर फोटो और हस्ताक्षर वास्तविक होना आवश्यक है।

पता ..... से ..... तक .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

13. विदेश में आवास होने पर, उन सभी स्थानों का विवरण जहां भी आप 21 वर्ष की आयु के पश्चात् एक वर्ष से अधिक रहे हैं।

14. अन्य विवरण:

- (क) शैक्षणिक योग्यता:.....
- (ख) पूर्व धारित पद, यदि कोई हो तो, नियोक्ता(ओं) के नाम और पते के साथ.....
- (ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारण:.....
- (घ) क्या आपको कभी भी कदाचार या नैतिक अधमता के कारण शासकीय नौकरी से बर्खारत किया/हटाया गया है?(हाँ/नहीं)
- (ड) कोई दृश्य विशिष्ट पहचान चिन्ह:.....
- (च) ऊंचाई(सेमी):.....

15. क्या आप केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपकरण/सांविधिक निकायों में काम कर रहे हैं?  
(हाँ/नहीं):.....

16. क्या आप (जन्म/वंश/पैजीयन/नागरिकता) से भारत के नागरिक हैं? यदि नागरिकता ली है, तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख करें।

17. (क) क्या आपको, कभी भी, भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है? यदि हां, तो न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक और अपराध का उल्लेख करें। (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

(ख) क्या भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है? यदि हां, तो न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक और अपराध का उल्लेख करें।

(ग) क्या किसी भी न्यायालय ने (एक अभियुक्त के रूप में) उपस्थिति के लिए कोई वारंट या सम्मन या गिरफतारी के लिए वारंट या भारत से आपके प्रस्थान पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश जारी किया है? यदि हां, तो न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक और अपराध का उल्लेख करें।

(घ) क्या आप किसी ऐसे संगठन या संघ से जुड़े हैं जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति उसकी आपत्तिजनक गतिविधियों के कारण, किसी भी कानून के अधीन प्रतिबंधित किया गया हो?

## 18. स्व-घोषणा:

इस प्ररूप एवं संलग्न-पत्रादि में मेरे द्वारा दी गई जानकारी, सत्य एवं सही है एवं इसकी यथार्थता के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान\*)

दिनांक:.....

स्थान:.....

19. उस व्यक्ति का विवरण जिसे मृत्यु अथवा दुर्घटना की परिस्थिति में सूचना दी जायेगी:

नाम:.....

पता:.....

मोबाइल/टेलीफोन नं:.....

20. संलग्न-पत्रादि

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान\*)

कार्यालयीन उपयोग के लिए:

फाइल क्र:.....

सी एवं ए रिपोर्ट जारी करने की तारीख:.....

(पुलिस थाना/प्रभारी के हस्ताक्षर)

पुलिस थाने का नाम:.....

पुलिस जिले का नाम:.....

टीप:—

(एक) तीन पासपोर्ट आकार के फोटो

(दो) आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, ईंट्रिक प्रमाणपत्र)

(तीन) निवास का प्रमाण

(चार) प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

## प्रस्तुप-चार

(नियम 5 देखिये)

## चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....  
 सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी.....

जिनका विवरण नीचे दिया गया है, का नैतिक चरित्र एवं प्रतिष्ठा अच्छी है एवं यह कि आवेदक निम्नलिखित पते पर पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से निवास कर रहा है।

जन्म की तारीख:.....

जन्म का स्थान:.....

शैक्षणिक योग्यता:.....

व्यवसाय:.....

वर्तमान पता:.....

स्थायी पता:.....

जारी करने वाले प्राधिकारी:.....

हस्ताक्षर:.....

नाम:

पदनाम:

पता/टेलीफोन नं.

जारी करने की तारीख

## प्रस्तुप-पाच

## (नियम 6 देखिये)

निजी नियोजन अभिकरण के व्यवसाय में नियुक्ति हेतु अनुज्ञाप्ति

क्रमांक:

दिनांक:

श्री/ श्रीमती/ कु.

(आवेदक का नाम)

पिता/ पति का नाम:

निवासी:

(पूरा पता)

को

राज्य के लिये नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा

जिले(र)/राज्य (अप्रयोज्य शब्दों को काट दे) में निजी नियोजन अभिकरण का व्यवसाय करने की अनुमति देते हैं

जिसका कार्यालय

(कार्यालय का पता) पर होगा।

जारी करने का स्थान:

जारी करने की तारीख:

अनुज्ञाप्ति की वैधता: तक

हस्ताक्षर

स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालयीन पता

यह अनुज्ञाप्ति का तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

हस्ताक्षर

नवीकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालयीन पता

नवीनीकरण की तारीख:

## प्ररूप-छ।

(नियम 11 देखिये)

अपील के लिये प्ररूप

नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन)

नियम, 2014 के नियम 11 के अंतर्गत अपील

अपीलार्थी.....

पिता/पति का नाम.....

आयु.....

निवासी.....

उपरोक्त अपील, प्रधान सचिव/सचिव (गृह) को, निजी नियोजन अभिकरण संचालित करने हेतु अनुज्ञाप्ति प्रदान करने/नवीनीकरण करने से इंकार करने के नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश दिनांक ..... के विरुद्ध निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत है, अर्थात्—

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

संलग्न दस्तावेजों की सूची:

हस्ताक्षर

अपीलार्थी का नाम, पदनाम एवं पता

दिनांक:

स्थान:

## प्रैरूप—सात

(नियम 12 देखिये)

विवरण रजिस्टर

(भाग—एक प्रबंधन को विवरण)

संक्र.	अभिकरण का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति(यों) का नाम	अभिभावक / पिता का नाम	वर्तमान पता एवं फोन नं.	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख
1						

(भाग—दो निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक)

संक्र.	गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता एवं फोन नं.	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख	स्थायी पता	फोटोग्राफ	बैज क.	वेतन तारीख सहित
1								

(भाग—तीन ग्राहक)

संक्र.	ग्राहक का नाम और फोन नं.	उस जगह का पता जहां घरेलू कार्य दिया गया है	भेजे गये घरेलू कामगारों की संख्या और श्रेणी	सेवा प्रारंभ होने की तारीख	सेवा समाप्ति की तारीख

(भाग—चार कार्य सूची)

संक्र.	निजी घरेलू कामगार/पर्यवेक्षक का नाम	कार्यस्थल का पता	क्या हथियार/अस्त्र-शस्त्र के साथ भेजा गया है	सेवा प्रारंभ होने की तारीख एवं समय	सेवा समाप्ति की तारीख व समय

## प्रूप-आठ

## (नियम 13 देखिये)

## निजी घरेलू कामगार/पर्यवेक्षक के लिए फोटो पहचान पत्र

निजी नियोजन अभिकरण का नाम:.....

निजी घरेलू कामगार/पर्यवेक्षक का नाम:.....

आधिकारिक पदनाम:.....

घरेलू कामगार/पर्यवेक्षक का पहचान क्रमांक:.....

जारी करने की तारीख:.....

वैधता तिथि:..... तक

कार्ड धारक का हस्ताक्षर:.....

धारक का फोटोग्राफ  
जारी करने वाले  
अधिकारी द्वारा सम्यक्  
रूप से प्रमाणित हजारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर  
आधिकारिक पदनाम:.....

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 2-58/दो-गृह/रापुसे/2013. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 21-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. के. माधुर, उप-सचिव

Raipur, the 21st August 2014

## NOTIFICATION

No. F 2-58/Two-Home/2013. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Private Placement Agencies (Regulation) Act, 2013 (No. 23 of 2013), the State Government, hereby, makes the following rules for regulating Private Placement Agencies and matters connected therewith or incidental thereto, namely :—

**RULES**

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Private Placement Agencies (Regulation) Rules, 2014.  
 (2) These rules shall be applicable in the whole State of Chhattisgarh.  
 (3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) “Act” means the Chhattisgarh Private Placement Agencies (Regulation) Act, 2013 (No. 23 of 2013);
  - (b) “Agency” means a Private Placement Agency as defined under clause (h) of Section 2 of the Act;
  - (c) “Appellate Authority” means the Principal Secretary, Department of Home, Government of Chhattisgarh;

- (d) "Authorized Officer" means any officer authorized by the Controlling Authority;
- (e) "Controlling Authority" means the District Magistrate of the concerned district;
- (f) "Form" means Forms appended to these rules;
- (g) "Licensing Authority" means an officer or authority empowered to grant or renew licenses under these rules;
- (h) "Licensee" means the agency to which license has been granted under the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

**3. Manner of making application for grant and renewal of license.** - (1) Every application by an Agency for the grant of a license under sub-section (1) of Section 5 of the Act shall be made to the Controlling Authority in Form-I.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be submitted alongwith fee, in the form of crossed bank draft/demand draft or banker's cheque payable to the Controlling Authority, as under:-

- (a) If the Private Placement Agency is operating in one district, then agency has to furnish fee of rupees five thousand along with bank guarantee of rupees one lakh;
- (b) If the Private Placement Agency is operating in more than one district but not exceeding five districts, then agency has to furnish fee of rupees five thousand along with bank guarantee of rupees one lakh;

(c) If Private Placement Agency is operating in the whole of the state, then the agency has to furnish fee of rupees twenty five thousand along with bank guarantee of rupees one lakh;

(3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either delivered personally to the Controlling Authority or through a representative.

(4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting the date of receipt of the application, provide an acknowledgement to the applicant

**4. Verification of character and antecedents of the applicant. –**

(1) Every applicant while making an application to the Controlling Authority for issue of fresh license or renewal shall enclose with the application Form-II for verification of its antecedents. In case, the applicant is a company or a firm, separate Form-II for every proprietor, majority shareholder, partner or director, as the case may be, shall be enclosed, as if they are also the applicants.

(2) On receipt of the application the Controlling Authority or Authorized Officer may, for verification of the contents of the application, forward it to the Superintendent of Police of the concerned district where the agency intends to commence its activities and make such inquiry as he considers necessary for verification of particulars of the applicant.

(3) After verification, the Controlling Authority or any Officer Authorized by him shall obtain:-

(a) No Objection Certificate from the concerned Superintendent of Police;

(b) The verification report shall be prepared by Superintendent of Police, in which particulars of the applicant and every person in whose name the antecedent form is filled up.

(4) The Superintendent of Police of the concerned police district shall furnish the no objection certificate within thirty days of receipt of the application to the Controlling Authority or any other Authorized Officer for the said purpose.

(5) The Superintendent of Police shall also furnish the verification report within thirty days of receipt of the application to the Controlling Authority or the Authorized Officer containing the following information, namely: -

(a) Whether the applicant is/was indulged in activities which are prejudicial to national security or public order and if so, details thereof,

(b) Whether the applicant earlier operated any agency either individually or in a partnership and if so the details thereof; and

(c) Whether the applicant possesses any special qualification or skill which may be considered to be facilitating the operations of the agency.

**5. Verification of character and antecedents of the domestic worker.**— (1) No person shall be employed or engaged as a domestic worker by the agency unless he fulfills the conditions specified in section 7 of the Act and the agency is satisfied about the character and antecedents of such person in the following manner, namely:-

(a) After verification of the character and antecedent by itself;

(b) After verification of the character and antecedent certificate produced by the person:

Provided that the certificate is valid and the agency has no adverse report regarding his character and antecedent from any other sources;

(c) After receiving the character and antecedent report from the Superintendent of Police..

(2) A person seeking employment as domestic worker shall submit the information in Form-III to the agency and in case the person has stayed in more than one district during the last five years then separate forms shall be submitted for each district.

(3) The agency may make an enquiry for verifying the particulars of the person seeking employment as domestic worker, either by itself or by the Authorized Officer for this purpose or may forward Form-III to the concerned Superintendent of Police, as the case may be.

(4) The person shall deposit the verification charges as prescribed in sub-rule (9) in respect of each individual case for verification of character and antecedent to the concerned Superintendent of Police or the Authorized Officer for this purpose.

(5) The concerned Superintendent of Police or the Authorized Officer for this purpose, for establishing the identity and for verifying the character and antecedents of the person may make such inquiries from the respectable residents within the locality

and the District Police Headquarters and by residence, as he may consider necessary.

(6) The concerned Superintendent of Police or the Authorized Officer for this purpose shall furnish the character and antecedent verification report within thirty days of receipt of the Form-III to the designated officer of the agency, containing the following information, namely: -

- (a) The comments of the police on the particulars filled by the person in Form-III;
- (b) A general report about other activities including his means of livelihood during the period of verification;
- (c) Disclosure about the criminal investigation or proceedings, registered or commenced or pending or disposed of at any point of time;
- (d) Regarding his conviction, if any, in criminal offence punishable with imprisonment;
- (e) Whether the engagement or employment of the person under verification by the agency will pose a threat to national security or not.

(7) The character and antecedent verification report shall be marked as confidential and forwarded in the sealed cover and shall remain valid for three years from the date of verification.

(8) On the basis of the character and antecedent verification report submitted by the concerned police station or the Superintendent of Police of the concerned district or the

Authorized Officer for this purpose or of the agency itself, the agency shall issue a character certificate to the person in Form-IV, which shall not be taken back even if the person ceases to be part of the agency.

(9) A fee of rupees two hundred and fifty shall be payable to the concerned Superintendent of Police or the Authorized Officer for this purpose, by way of cash or bank draft, for verifying the character and antecedents of a person to be employed by an Agency as domestic worker.

**6. Grant of licence.-** (1) The Controlling Authority, after receiving a report from the Authorized Officer on the application received under sub-rule (1) of rule 3 after completing all the formalities and satisfying itself about the suitability of the applicant and also the need for granting license for the area of operation applied for, shall grant a license to the private placement agency in Form-V:

Provided that the Controlling Authority either by itself or through the Authorized Officer may verify the training and skills imparted to the private security guard, domestic workers and supervisors of any Private Placement Agency;

(2) The Controlling Authority may, after making such inquiries as it considers necessary and after obtaining no objection certificate from the concerned police authority, by order in writing either grant or refuse to grant the license within a period of sixty days from the date of receipt of application with complete particulars and the fees:

Provided that when the Controlling Authority does not agree with the no objection certificate issued from the concerned police authority, he would briefly record the reasons of his disagreement and place the matter before the Government and proceed to grant or refuse to grant the license as per decision of the Government:

Provided further that if the Controlling Authority decides to grant a license then he shall grant license in Form-V. The license shall be valid for a period of 5 years unless the same is cancelled by the Controlling Authority under sub-section (1) of section 6 of the Act.

(3) The Controlling Authority may review the continuation of license of such Private Placement Agency, which did not adhered to the conditions of ensuring the required training.

(4) The Controlling Authority shall not refuse the license unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard and the ground on which license is refused is mentioned in the order.

(5) The Agency shall not use in its name the words like "Indian", "National" or any other such words, which give the impression of any Government patronage.

**7. Conditions for grant of license.**— (1) The Licensee shall intimate the name, name of parent, date of birth, permanent address, Address for correspondence and the principle profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the license to the Controlling Authority.

(2) The licensee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency and management within seven days of such change.

(3) The licensee shall immediately intimate the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or the supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of their performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station, where the accused person resides.

(4) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of license shall be non-refundable.

**8. Renewal of license.**— (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the license within period of 90 days from the date of expiry of license.

(2) The Controlling Authority may renew a license up to a further period of five years.

(3) The fees chargeable for renewal of the license shall be same fee as applicable for the grant of license.

**9. Conditions for renewal of license.**— (1) The renewal of the license shall be granted subject to the following conditions, namely:-

(a) The applicant continues to maintain his principal place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority.

(b) The applicant continues to adhere to the license conditions;

(c) The police have no objection to the renewal of the license of the applicant;

(2) Application for renewal of license shall also be in Form-I.

**10. Suspension or cancellation of licenses.** - (1) No license granted under this Act shall be cancelled or suspended until the licensee has been given a reasonable opportunity of being heard after giving due service of show cause as to why his license should not be cancelled or suspended, as the case may be;

(2) No such opportunity of being heard shall be necessary on temporary suspension of license, when license is suspended temporarily pending an enquiry against the licensee for contravention of sub-section (1) of Section 8 of the Act or any order made there under or of any of the conditions of the license granted to him.

**11. Appeals and Procedure.** - (1) Any person aggrieved by any order passed by the Controlling Authority refusing to grant a license, varying the conditions of a license, suspending or revoking a license may prefer an appeal against the said order to Appellate Authority.

(2) No appeal shall be entertained, unless it is submitted within a period of 90 days from the date of receiving a copy of the order:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for delay.

(3) Every appeal under sub-section (1) of Section 7 of the Act shall be preferred in Form-VI signed by the aggrieved person or his advocate to the Appellate Authority in person or sent by registered post.

**12. Register to be maintained by the Agency.**- The Agency shall maintain the register in Form-VII, which shall be open for inspection by the Controlling Authority or the Authorized Officer.

**13. Identity card for domestic workers.**- The Agency shall issue an identity card to every domestic worker in Form-VIII, it shall contain a full-face colour-photo, name of the agency, name of the domestic worker, designation, identification number and the period of validity and the photo identity card shall be maintained upto date and any change in the particulars shall be entered therein and in a situation where an employee is no longer engaged or employed by the agency, the photo identity card issued to domestic worker/ supervisor shall be returned to the agency issuing it, once domestic workers is no longer engaged or employed by it.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.  
D. K. MATHUR, Deputy Secretary

**Form-I****(See rule 3)****APPLICATION FOR NEW LICENCE/RENEWAL OF LICENCE TO  
ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE PLACEMENT AGENCY**

To

The Controlling Authority

.....  
.....

The undersigned hereby applies for obtaining a license to run their business in the area of Private Placement Agencies:

1. Full name of the applicant
2. Nationality of the applicant
3. Son/ Daughter / Wife of
4. Residential Address
5. Address where the applicant desires to start his Agency
6. Name of the private placement Agency

(**NOTE** : Registration Number of the Agency also be indicated)

7. Name and Address of Proprietor, Partner, Majority shareholder, Director and Chairman of the Agency

(**NOTE**: Nationality of each partner, Majority Shareholder, Director and Chairman of the Agency be indicated)

8. Name and extent of Facilities available
9. Qualification of staff engaged for imparting instruction:

Name : .....

Age : .....

Designation : .....

10. Particulars of the uniform including colour, in case the applicant intends to use any uniform for the private domestic work and supervisors of the Agency.

11. Does the applicant intend to operate in more than one district? If so, please mention name of the districts -

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

12. Does the applicant intend to operate in the entire state? (Yes, No)
13. Does the applicant possess the training facility on its own or will get it on outsourcing basis? The details of training facility should be furnished (as annexure)

Enclosure :-

Address of applicant

Telephone number of the applicant

Date of application

1. Copy of current Income Tax Clearance Certificate
2. Affidavit as prescribed in sub-section(2) of Section 7 the Act
3. Other enclosures

## Form-II

(See rule 4)

Form for verification of Antecedents

\*Thumb Impression\* of the Applicant \_\_\_\_\_

Signature of the Applicant \_\_\_\_\_

For official use only

Recent  
Passport Size  
Photograph  
Attested By A  
Class-I  
Gazetted  
Officer

Form Number	Name of the police station, sent for police verification	Date

Fee Amount Rs. \_\_\_\_\_ Cash/D.D. \_\_\_\_\_

Name of Bank &amp; Branch \_\_\_\_\_

D.D.No. \_\_\_\_\_ Date of Issue \_\_\_\_\_

N.B.: Please read the instructions carefully before filling the form. Please fill in BLOCK LETTERS:

(Note: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any material information in the form will render the candidate unsuitable for grant of license)

1. Name of applicant (Initials not allowed)

First Name \_\_\_\_\_ Middle Name \_\_\_\_\_ Last Name \_\_\_\_\_

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name in full \_\_\_\_\_

3. Sex (male/female) \_\_\_\_\_

4. Date of Birth \_\_\_\_\_

5. Place of Birth: Village/Town \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_ State &amp; Country \_\_\_\_\_

6. Father's full name/Legal Guardian's Full Name (including surname, if any):(Initials not allowed) \_\_\_\_\_

7. Mother's full name (including surname, if any):(Initials not allowed) \_\_\_\_\_

8. If Married. Full name of spouse (including surname, if any):(Initials not allowed) \_\_\_\_\_

9. Present Residential Address including Street No./Police Station, Village and District (with PIN code)

Telephone	No./Mobile	No.	Off.
		Res.	
			Fax
		Email ID	

10. Please give the date from which applicant residing at the above-mentioned address: DD/MM/YY \_\_\_\_\_

11. Permanent Address including Street No./Police Station, Village and District (with PIN code) \_\_\_\_\_

12. If you have not resided at the address given at column (9) continuously for the last five years, please furnish the other address (addresses) with duration (s) resided. You should furnish additional photocopies of this form for each additional place of stay during the last five years. Forms may be photocopied; but photograph and signature in original are required on each form.

Address	From	To
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

13. In Case of stay abroad, particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years.

_____
_____
_____

14. Other Details:

a) Educational Qualifications:

b) Previous positions held, if any, along with name and address of employer(s).

c) Reason for leaving last employment:

d) Visible Distinguishing Mark:

e) Have you ever been dismissed/ removed from Government service on account of misconduct or moral turpitude?

15. Did you earlier operated any Private Placement Agency or were its partner, majority share holder, or Director? If yes, then furnish the name, address of the agency and its license particulars.

16. Are you a citizen of India by: (Birth/Descent/Registration/Naturalisation? If you have ever possessed any other citizenship, please indicate (the same).

17. Have you, at any time, been convicted by a court in India for any offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number, and offence.(Attach copy judgment)

18. (a) Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number, and offence

---

---

---

(b) Have you been keeping links with any organization or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order?

19. Self- Declaration:

The information given by me in this form and the enclosures is true & correct and I am solely responsible for its accuracy.

(Signature/Thumb Impression.\* of applicant)

Date:

Place: \_\_\_\_\_

## 20. Enclosures :

---



---



---



---

(Signature/Thumb Impression \*of applicant)

(\*Left Hand Thumb Impression if Male and Right  
Hand thumb Impression if Female)**FOR OFFICE USE ONLY :**

File No. \_\_\_\_\_

Date of issue of C&amp;A report \_\_\_\_\_

(Signature of Police Station In-charge)

Name of Police Station \_\_\_\_\_

Name of Police District \_\_\_\_\_

**Note:-**

- (i) Three passport-size photographs duly attested by G.O. on reverse of photograph in respect of applicants.
- (ii) Proof of Age
- (iii) Certificate of incorporation issued by ROC, Sale Tax No. (ST-2), Labour License, Registration under ESI Act & EPF Act, 1952
- (iv) Site Plan of office
- (v) Proof of residence of Applicants
- (vi) Prescribed Fees
- (vii) NOC from landlord for carrying on trade of Placement Agency Business at the premises.

**Form-III****(See rule 5)****Form for verification of Character & Antecedents of Domestic Worker**

Thumb Impression of the Applicant .....

Signature of the Applicant .....

For official use only

Form number	Name of the police station sent for police verification	Date

Fee Amount Rs..... Cash/D.D. .....

Name of Bank &amp; Branch .....

D.D. No. ..... Date of Issue .....

N.B. Please read the instruction carefully before filling the form.

**Please fill in BLOCK LETTERS.**

**(Note:** Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any material information in the form will render the candidate unsuitable for employment/engagement in private agencies.)

1. Name of application (Initials not allowed)

First Name ..... Middle Name ..... Last Name .....

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name (s) in full .....

3. Sex (male/female) .....

4. Date of Birth .....

5. Place of Birth: Village/ Town ..... Distt. .....

State &amp; Country .....

6. Father's full name/Legal Guardian's Full Name (including surname, if any):(Initials not allowed) .....

7. Mother's full name (including surname if any):(Initials not allowed) .....

8. If married Full name of spouse (including surname if any):(Initials not allowed) .....

9. Present Residential Address including Street No./Police Station, Village and District (with PIN code) .....

Telephone No./Mobile No. ....

Off. .... Res. .... Fax. ....

Email ID .....

10. Please give the date from which applicant is residing at above-mentioned address: DD/MM/YY ..... / ..... / .....

11. Permanent Address including Street No./police Station, Village and District (with PIN code).....

.....

.....

12. If you have not resided at the address given at column (9) continuously for the last five year, please furnish the other address with duration (s) resided. You should furnish additional photocopies of this form for each additional place of stay during the last five years. Forms may be photocopied, but photograph and signature in original are required on each from.

Address	From	To
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

13. In case of abroad stay, particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years.

.....

.....

.....

.....

14. Other Details:

- (a) Educational Qualifications: .....
- (b) Previous posts held along with name and address of employer (s) .....
- (c) Reason (s) for leaving last employment: .....
- (d) Have you ever been dismissed/removed from Government service on account of misconduct or moral turpitude? (Yes/No)
- (e) Visible Distinguishing Mark : .....
- (f) Height (cms) .....

15. Are you working in Central Government/State Government/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies (Yes/No)

16. Are you citizen of India by: (Birth/Descent/Registration/Naturalisation)

If you have ever possessed any other citizenship. Please indicate previous citizenship? .....

17. (a) Have you, at any time, been convicted by a court in India for any offence & sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)

.....  
(b) Are any criminal proceeding pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number, and offence

.....  
(c) Did any court issued a warrant or summons for appearance (as an accused) or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India? If so, give name, case number and offence.....

.....  
(d) Are you associated with any organizations or association which is banned under any law on account of their activities which poses threat to national security or public order?

18. Self - Declaration:

The information given by me in this form and enclosures is true & correct and I am solely responsible for its accuracy.

(Signature/T.I.\* of applicant)

(\* Left Hand Thumb Impression if Male and Right Hand thumb Impression if Female)

Date: .....

Place: .....

19. Particulars of person to be in the event of death or accident:

Name : .....

Address: .....

Mobile/Tel.No. .....

20. Enclosures: .....

(Signature/T.I.\* of applicant)

**FOR OFFICE USE ONLY**

File No. ....

Date of issue of C&amp;A report .....

(Signature of Police Station In-charge)

Name of Police Station .....

Name of Police District .....

**Note :-**

- (i) Three passport-size photographs
- (ii) Proof of age (Birth certificate, School leaving Certificate, Matriculation Certificate )
- (iii) Proof of residence
- (iv) Training certificate

**Form-IV**

(See rule 5)

**CHARACTER & ANTECEDENT CERTIFICATE**

This is to certify that Mr./Ms. .... S/o D/o

Shri ..... R/o .....

whose particulars are given below, has good moral character and reputation and that the applicant has been staying at the following address continuously for the last one year.

Date of Birth : .....

Place of Birth : .....

Educational Qualification : .....

Profession: .....

Present Address: .....

Permanent Address: .....

Issuing Authority : .....

Signature: .....

Name

Designation

Address/Tel. No.

Date of Issue

**Form-V**

(See rule 6)

**LICENCE TO ENGAGE IN BUSINESS OF PRIVATE PLACEMENT****AGENCY**

Serial No.....

Date .....

Shri/Smt./Ku..... (Name of The Applicant)

S/o W/o D/o.....

R/o ..... (full address) is granted the license by the Controlling Authority for the State of ..... to run the business of private Placement agency in the district(s) of/State of (cancel the inapplicable words).....

..... with office at ..... (address of the office)

Place of Issue .....

Date of Issue .....

This license is valid upto .....

Signature

Name of Granting Authority

Designation

Official Address

This license is renewed upto .....

Signature

Name of Renewal Authority

Designation

Official address

Date of renewal

**Form-VI**

**(See rule 11)**

**FORM FOR APPEAL**

An appeal under Rule 11 of the Chhattisgarh Private Placement Agencies (Regulation) Rules, 2014 against the order of the Controlling Authority

Appellant \_\_\_\_\_

S/o W/o D/o \_\_\_\_\_

Age \_\_\_\_\_

R/o \_\_\_\_\_

Above appeal is presented to the Principal Secretary/Secretary (Home) against the order dated \_\_\_\_\_ of the Controlling Authority refusing to grant/ renew license to run Private Placement Agency on the following grounds, namely:-

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Enclosed list of documents

Signature

Name, Designation & Address of the Appellant

Date

Place

## Form- VII

(See rule 12)

REGISTER OF PARTICULARS

(Part-I Management details)

S.No.	Name of Person(s) managing the agency	Parent's/ Father's Name	Present address & phone no	Permanent address	Nationality	Date of joining/ leaving the agency
1						

(Part-II Private Security Guards and Supervisor)

S.No	Name of guard/ supervisor	Father's Name	Present Address & phone no.	Date of joining/ leaving the agency	Permanent Address	photo graph	Badge no.	Salary with date
1								

(Part-III Customers)

S.No.	Name of the Customer & phone no.	Address of the place where domestic work is provided	Number and ranks of domestic worker provided	Date commencement of Services	Date of discontinuation of services

(Part-IV Duty Roster)

S.No.	Name of the private domestic worker/ supervisor	Address of the place of duty	Whether provided with any arms/ ammunition	Date and time of commencement of duty	Date and time of ending of duty

## Form- VIII

(See rule 13)

PHOTO-IDENTITY CARD FOR PRIVATE DOMESTIC  
WORKER/SUPERVISOR

Name of the Private Placement Agency

Photograph Of  
The Holder Duly  
Attested By The  
Issuing  
Authority

Name of the Private Domestic Worker/Supervisor

Official Designation \_\_\_\_\_

Identification no. of the domestic worker/ Supervisor \_\_\_\_\_

Date of Issue \_\_\_\_\_

Valid upto \_\_\_\_\_

Signature of the cardholder \_\_\_\_\_

Signature of the issuing  
Authority

Official Designation \_\_\_\_\_

